रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 251] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 5, 1973/आषाढ़ 14, 1895
No. 251] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 5, 1973/ASADHA 14, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 5th July 1973

S.O. 377(E).—In pursuance of clauses 12B and 12E of the Colliery Control Order 1945, as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Mines and Metals No. S.O. 1049, dated the 1st April, 1966.

[No. C4-18(11)/72-CC.]

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1973

का० आ० 377(अ).—कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 के खण्ड 12ख और 12ङ के अनुसरण में जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 द्वारा जारी रखा गया है, उस निमित्त से और इससे जुड़ी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार की खान और धातु मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 1049, तारीख 1 अप्रैल, 1966 को विखण्डित करती है ।

[संख्या कोयला-4-18(11)/72-कोककर कोयला]

S.O. 378(E).—In pursuance of clauses 12B and 12E of the Colliery Control Order, 1945, as continued in force by section 16 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), and all other powers enabling it in this behalf, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Steel and Mines (Department of Mines and Metals) No. S.O. 194, dated the 15th January, 1966.

[No. C4-18(11)/72-CC]

S. B. LAL, Jt. Secy.

का० आ० 378(अ).—कोयला खान नियंत्रण आदेश, 1945 के खण्ड 12ख और 12ङ के अनुसरण में, जिसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 16 द्वारा जारी रखा गया है, और उस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार की इस्पात और खान मंत्रालय (खान और धातु विभाग) की अधिसूचना संख्या का० आ० 194, तारीख 15 जनवरी, 1966 को विखण्डित करती है।

[सं० कोयला-4-18(11)/72 कोककर कोयला]

शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1973